उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक: 557/2004

याचिकाकर्ता:

1. सत्यानंद कच्छप, पिता श्री जगुरू राम, आयु 38 वर्ष,
2. राजी चैंडी, पिता स्वर्गीय श्री टी. चैंडी, आयु लगभग 40 वर्ष,
3. जी.एस. ओगरे, पिता श्री बी.आर. ओगरे, आयु 40 वर्ष
4. आर. के. डायमंड, पिता श्री जे. डायमंड, आयु 39 वर्ष
5. एच. कुजूर, पिता स्व. श्री जे. कुजूर, आयु लगभग 38 वर्ष
6. एस. के. दहरे, पिता स्व. रामाधार, आयु 38 वर्ष
7. आई. एक्का, पिता श्री फिलमोन एक्का, आयु लगभग 38 वर्ष
8. एस. कुमार, पिता स्व. सैमुएल कुजूर, आयु लगभग 39 वर्ष
9. के. एल. गेंन्द्रे, पिता स्व. श्री जी. आर. गेंन्द्रे, आयु लगभग 40 वर्ष
10. . ए. ज़ॉक्सा, पिता श्री पायस ज़ॉक्सा, आयु लगभग 46 वर्ष
11. एल. पी. रात्रे, पिता स्व. श्री एस. आर. रात्रे, आयु लगभग 42 वर्ष
12. . बी. सिंह सोरी, पिता स्व. लोक सिंह सोरी, आयु 40 वर्ष
13. आर. एल. बनर्जी, पिता स्व. श्री एम. एस. बनर्जी, आयु 38 वर्ष
14. जे. आर. कथले, पिता श्री माया कथले, आयु लगभग 36 वर्ष
15. बी. के. पन्ना, पिता श्री पी. पन्ना, आयु लगभग 40 वर्ष
16. सिल्वेस्टर टिर्की, पिता स्व. साइमन चुनगुरू, आयु 40 वर्ष
17. एल. झालरिया, पिता स्व. डी. आर. झालरिया, आयु 43 वर्ष
18. के. के. गोवेल, पिता श्री ए. पी. गोवेल, आयु लगभग 36 वर्ष
19. उमेश सिंह, पिता श्री रामदेव सिंह, आयु लगभग 39 वर्ष
20. डी. डी. विश्वकर्मा, पिता श्री दुखी राम विश्वकर्मा, आयु लगभग 40 वर्ष
21. आर. एस. कंवर, पिता श्री कुंज राम कंवर, आयु लगभग 37 वर्ष
22. एल. एस. चंद्राकर, पिता स्व. श्री आई. आर. चंद्राकर, आयु लगभग 36 वर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. आर. के. अंगरे, पिता श्री शिवन अंगरे, आयु लगभग 36 वर्ष
24. सिल्वेरियस टिर्की, पिता श्री साइमन टिर्की, आयु 42 वर्ष
25. आर. आर. कौशिक, पिता स्व. श्री आई. आर. कौशिक, आयु लगभग 41 वर्ष
26. ए. के. रामटेके, पिता श्री हीरालाल रामटेके, आयु लगभग 44 वर्ष
27. पी. टिग्गा, पिता स्व. श्री एम. टिग्गा, आयु लगभग 41 वर्ष

सभी उपर्युक्त याचिकाकर्ता नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) में कार्यरत हैं तथा टाउनशिप, जमनीपाली, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) में निवासी हैं।

<u>बनाम:</u>

<u>उत्तरवादीगण :-</u>

1. नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम,प्रतिनिधि: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली
2. महाप्रबंधक, नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन, डाकघर: जमनीपाली, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 तथा 227 के अधीन याचिका — पुनर्विलोकन हेतु रिट (उत्प्रेषण), कर्तव्य पालन हेतु रिट (परमादेश), निषेधात्मक रिट (निषेध) तथा अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देशों की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत:</u>

उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक: 557/2004

के. पी. चंद्रवंशी व नौ अन्य

-बनाम-

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य

रिट याचिका सं. 2087/2001

बालको कैप्टिव पावर प्लांट मज़दूर संघ व एक अन्य

-बनाम-

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व तीन अन्य

एवं

रिट याचिका सं. 557/2004

सत्यनंद कच्छप व 26 अन्य

-बनाम-

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व एक अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	विचारार्थ आदेश	हस्ताक्षर एल. सी. भादू न्यायाधीश
	माननीय श्री न्यायमूर्ति फखरुद्दीन	हस्ताक्षर फखरुद्दीन न्यायाधीश
	आदेश हेतु सूचीबद्ध दिनांक: 25 मार्च, 2004	हस्ताक्षर एल. सी. भादू न्यायाधीश

<u>उच्च न्यायालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़</u>
<u>रिट याचिका क्रमांक: 557/2004</u>

के. पी. चंद्रवंशी व नौ अन्य
बनाम
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व अन्य

<u>रिट याचिका सं. 2087/2001</u>
बालको कैप्टिव पावर प्लांट मज़दूर संघ व एक अन्य

बनाम

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व तीन अन्य

एवं

<u>रिट याचिका सं. 557/2004</u>
सत्यनंद कच्छप व 26 अन्य

बनाम

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व एक अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थित:-</u>

डॉ. एन. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र शुक्ला, अधिवक्ता के साथ —	रिट याचिका सं. 2072/2001 के याचिकाकर्ताओं की ओर से
श्री धीरेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता —	रिट याचिका सं. 2087/2001 के याचिकाकर्ताओं की ओर से
श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता	रिट याचिका सं. 557/2004 के याचिकाकर्ताओं की ओर से
श्री विवेक टन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत जायसवाल, श्री पी. सी. सेन एवं श्री एच. के. उपाध्याय, अधिवक्ता के साथ	उत्तरवादी/बाल्को की ओर से
श्री एल. एन. राव, भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री पी. एस. नायर, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री वी. के. राव, श्री पी. एस. कोषी एवं श्री राजकुमार गुप्ता, अधिवक्ताओं के साथ	उत्तरवादी/एन.टी.पी.सी. की ओर से

<u>खंडपीठ:-</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति फखरुद्दीन एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति एल. सी. भादू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 25 मार्च, 2004 को पारित)

मानननीय श्री न्यायमूर्ति एल.सी. भादू द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

1. ये तीनों रिट याचिकाएँ एक ही विवाधक से संबंधित हैं, अतः इनका निराकरण इस साझा आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

2. रिट याचिका क्रमांक 2072/2001 दस व्यक्तिगत, गैर-कार्यकारी अधिकारियों द्वारा दायर की गई है जो कि बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट में कार्यरत हैं। इसी प्रकार, रिट याचिका क्रमांक 557/2004, 27 गैर-कार्यकारी अधिकारियों द्वारा दायर की गई है जो बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट में कार्यरत हैं, जबकि रिट याचिका क्रमांक 2087/2001, बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट मज़दूर संघ तथा बाल्को ताप विद्‌युत कर्मचारी संघ द्वारा, बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट में कार्यरत गैर-कार्यकारी अधिकारियों की ओर से, दायर की गई है।

3. उक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 1 अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में 'एनटीपीसी') की उस कार्यवाही के विरुद्ध आपत्ति व्यक्त की है, जिसके तहत लगभग 236 गैर-कार्यकारी अधिकारियों की सेवाएँ स्थायी रूप से भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में 'बाल्को') को सौंप दी गई हैं। बाल्को पूर्व में भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। किंतु, वर्ष 2001 में भारत सरकार ने उक्त परियोजना का विनिवेश करने तथा 51% शेयर मेसर्सस्टरलाइट को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप बाल्को तथा बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट (संक्षेप में 'बी.सी.पी.पी') दोनों का संपूर्ण प्रबंधन मेसर्स स्टरलाइट को, दिनांक 20 जून 2002 के करार के अनुसार, 1 जुलाई 2002 से प्रभावी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया।

4. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुतोष मांगे गए हैं — यह घोषणा की जाए कि याचिकाकर्ता तथा वर्तमान में बी.सी.पी.पी में कार्यरत सभी कर्मचारी एनटीपीसी के कर्मचारी हैं; उत्तरवादियों को याचिकाकर्ताओं तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाएँ बाल्को के प्रबंधन को हस्तांतरित करने से रोका जाए; तथा उत्तरवादी एनटीपीसी को निर्देशित किया जाए कि वह प्रत्येक कर्मचारी को सीपत, सिम्हाद्री अथवा किसी अन्य वर्तमान अथवा प्रस्तावित परियोजना में समायोजित करे। इसके अतिरिक्त, यह भी घोषित किया जाए कि एनटीपीसी तथा बाल्को के मध्य दिनांक 22.05.1990 को संपन्न करार की कण्डिका 8.2 तथा अन्य शर्तें याचिकाकर्ताओं पर बाध्यकारी नहीं हैं; उत्तरवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ बाल्को के नए प्रबंधन को हस्तांतरित करने के निर्णय अथवा कार्यवाही को निरस्त किया जाए; तथा एक परमादेश रिट जारी करते हुए उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ बाल्को के नए प्रबंधन को स्थानांतरित

करने की दिशा में कोई भी कार्यवाही करने से रोका जाए। रिट याचिका क्रमांक 2087/2001 में उपर्युक्त राहतों के अतिरिक्त यह भी प्रार्थना की गई है कि करार दिनांक 22.05.1990 की कण्डिका 16(3) को कण्डिका 8 के साथ पढ़ते हुए अवैध, मनमाना एवं गैर-लागू योग्य घोषित किया जाए, क्योंकि यह उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों को एकपक्षीय रूप से परिवर्तित करता है जो उक्त करार के पक्षकार नहीं थे; और उत्तरवादियों को उपर्युक्त धाराओं को लागू करने तथा इस प्रकार बी.सी.पी.पी के अधीन कार्यरत गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की सेवाओं को एनटीपीसी से बाल्को के प्रबंधन में स्थानांतरित करने से रोका जाए।

5. याचिकाकर्ताओं का प्रकरण यह है कि वे सभी रोजगार कार्यालय, कोरबा में पंजीकृत थे और जब एनटीपीसी, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने बेरोजगार आर्टीसन ट्रेनी की सूची माँगी, तब याचिकाकर्ताओं के नाम एनटीपीसी कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को प्रेषित किए गए। दिनांक 26.07.1987 को एनटीपीसी द्वारा आर्टीसन ट्रेनी (फिटर/इलेक्ट्रीशियन) के पद हेतु लिखित/व्यावसायिक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर भाग लिया। याचिकाकर्ताओं को एनटीपीसी के कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के उपमहाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नियुक्ति आदेश प्राप्त हुए। इन नियुक्ति आदेशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि सभी याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की शर्तें समान हैं। याचिकाकर्ताओं को एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करना आवश्यक था तथा उन्हें ₹55/- मूल्य के स्टाम्प पर यह बंधपत्र भी प्रस्तुत करना था कि वे एनटीपीसी अथवा भारत सरकार के किसी अन्य विभाग या उपक्रम में कम से कम तीन वर्षों तक कार्यरत रहेंगे। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत, याचिकाकर्ताओं को प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेश के शीर्षक में लिखा था — "नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट।" कण्डिका क्रमांक 16 में यह उल्लिखित था कि उनकी नियुक्ति बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट/स्टेशन के लिए स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई है, जो वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन है, तथा यदि भविष्य में बाल्को द्वारा उक्त प्लांट/स्टेशन को सीधे संचालित करने अथवा किसी अन्य वर्तमान या नवगठित संस्था (जिसे उत्तराधिकारी संस्था कहा गया है) को उसका प्रबंधन सौंपने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ताओं का पद एवं सेवाएँ स्वतः ही बाल्को अथवा उक्त उत्तराधिकारी संस्था को स्थानांतरित मानी जाएँगी।

6. याचिकाकर्तागण एन.टी.पी.सी. के साथ कार्यरत हैं, जो कि बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट का प्रबंधन कर रहा था। यद्यपि, भारत सरकार द्वारा बाल्को के विनिवेश का निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाल्को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से निजी क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तित हो गया और वर्तमान प्रबंधन ने बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट का प्रबंधन स्वयं करने का निर्णय लिया। इस परिवर्तित परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, याचिकाकर्तागण जिन्हें एन.टी.पी.सी. द्वारा नियुक्त किया गया था, उन्हें एन.टी.पी.सी. की अन्य परियोजनाओं में पदस्थ किया जाना चाहिए। डिप्लोमा प्रशिक्षुओं के अतिरिक्त, उत्तरवादीगण ने बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट हेतु कनिष्ठ फोरमैन भी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नियुक्त किए थे, जिनमें से कुछ नियुक्त व्यक्ति विजय बहादुर सिंह, एस.सी. सिंह एवं वी.पी. वर्मा हैं। अन्य नियुक्ति आदेशों में भी समान शर्तें उल्लिखित थीं। विजय बहादुर सिंह को एस.पी.सी.एल.-भिलाई स्टील प्लांट में स्थानांतरित किया गया है, और एस.सी. सिंह एवं वी.पी. वर्मा विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं। छोटेलाल साहू को एन.टी.पी.सी. द्वारा कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त किया गया था एवं उन्हें बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट में याचिकाकर्ताओं के समान ही शर्तों पर पदस्थ किया गया था। तथापि, उन्हें सिम्हाद्री परियोजना में स्थानांतरित कर दिया गया है। वे व्यक्ति, जो याचिकाकर्ताओं के साथ नियुक्त हुए थे एवं जिनकी सेवा शर्तें समान थीं, उन्हें उत्तरवादीगण ने अपने स्वयं के कर्मचारी माना तथा उन्हें एन.टी.पी.सी. द्वारा संचालित अन्य परियोजनाओं में पदस्थ किया।

7. बाल्को ने कोरबा स्थित अपने एल्यूमिनियम परिसर के लिए कैप्टिव थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण हेतु 30 जुलाई, 1984 को एन.टी.पी.सी. के साथ एक करार किया था। पुनः बाल्को ने 22.05.1990 को एन.टी.पी.सी. के साथ एक और करार किया, जिसे बी.सी.पी.पी. संचालन एवं रख रखाव करार कहा जाता है। उक्त करार की प्रति अनुलग्नक -P-9 के रूप में संलग्न है। उक्त करार की कण्डिका 8.2 के अनुसार, ग़ैर-कार्यपालक स्टाफ (पर्यवेक्षणीय एवं श्रमिक) की भर्ती एन.टी.पी.सी. द्वारा विशेष रूप से बी.सी.पी.पी. हेतु एन.टी.पी.सी. की भर्ती नीतियों एवं मानकों के अनुसार की जानी थी। यह भी स्पष्ट किया गया था कि उक्त स्टाफ एन.टी.पी.सी. की नीतियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन रहेगा एवं यदि प्रबंधन का स्थानांतरण एन.टी.पी.सी. से किसी अन्य एजेंसी को होता है, तो उनकी सेवाएँ उत्तराधिकारी संस्था को हस्तांतरित की जाएंगी, जैसा कि कण्डिका 16 के अनुसार उत्तरवादी संस्था को हस्तांतरित की जाएगी । उक्त करार की कण्डिका 16.3 में यह कल्पित किया गया है कि प्रबंधन के स्थानांतरण की स्थिति में, बाल्को यह सुनिश्चित करेगा कि बी.सी.पी.पी. हेतु कण्डिका 8 के अंतर्गत नियुक्त सभी ग़ैर-कार्यपालक स्टाफ एवं ऐसे एन.टी.पी.सी. कार्यपालक जिन्हें प्रबंधन के स्थानांतरण के फलस्वरूप एन.टी.पी.सी. द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिशेष घोषित किया गया हो, उनकी सेवाएँ उत्तराधिकारी संस्था को हस्तांतरित की जाएं। ऐसे स्थानांतरण की सेवा शर्तें स्थानांतरण की तिथि पर कर्मचारियों को प्राप्त सेवा शर्तों से हीन नहीं होंगी। जहाँ ऐसा स्थानांतरण संभव नहीं हो, वहाँ सभी परिणामी देयताओं हेतु, जिसमें छंटनी मुआवज़ा सम्मिलित है, उत्तरदायित्व बाल्को का होगा। यह करार वर्ष 1990 में किया गया था, किन्तु इसे प्रभावी दिनांक 29.06.1987 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया। यह करार जो कि दो पक्षों के मध्य संपन्न हुआ, उसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता यदि वह किसी तृतीय पक्ष के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रभावित करता हो, और यह करार कर्मचारियों की जानकारी, सहमति अथवा इच्छा के बिना संपन्न किया गया था। अतः कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित धाराएँ बाध्यकारी नहीं हैं और उन्हें कर्मचारियों के विरुद्ध तब तक प्रवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे स्वयं ऐसी शर्तों से सहमत न हों। इसके अतिरिक्त, संचालन एवं रख-रखाव करार के अनुसार, प्रबंधन का स्थानांतरण वर्ष 2012 में किया जाना प्रस्तावित था। तथापि, बाल्को एवं एन.टी.पी.सी. ने 20 जून, 2002 को एक करार किया, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया कि बी.सी.पी.पी. का प्रबंधन 1 जुलाई, 2002 से हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उक्त करार की प्रति

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुलग्नक -P-10 के रूप में संलग्न है। याचिकाकर्तागण सदा-सर्वदा एन.टी.पी.सी. के कर्मचारी हैं, अन्यथा यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान, उत्तरवादी एन.टी.पी.सी. ने याचिकाकर्ताओं को यह कभी उद्घाटित नहीं किया कि वे उन्हें बाल्को के लिए अथवा बाल्को की ओर से अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। अतः संचालन एवं रख रखाव करार, अर्थात् बाल्को की ओर से बी.सी.पी.पी. का प्रबंधन करने हेतु किया गया करार, याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता।

8. संक्षेप में याचिकाकर्ताओं का कथन यह है कि समस्त ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारी एन.टी.पी.सी. द्वारा नियुक्त किए गए थे, प्रशिक्षण एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रदान किया गया, और नियुक्ति आदेशों में यह स्पष्ट किया गया था कि उनकी सेवा शर्तें एन.टी.पी.सी. कर्मचारियों के समान होंगी एवं भविष्य में उनकी सेवाएँ एन.टी.पी.सी. की किसी भी परियोजना में स्थानांतरित की जा सकती हैं। अतः वे एन.टी.पी.सी. के कर्मचारी हैं एवं बाल्को के विनिवेश के पश्चात् उनकी सेवाओं को निजी क्षेत्र की संस्था बाल्को को, संचालन एवं रख रखाव अनुबंध करार दिनांक 22.05.1990 एवं पश्चातवर्ती करार दिनांक 20 जून, 2002 के आधार पर, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. एन.टी.पी.सी. एवं बाल्को की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है। उनका स्पष्ट रुख यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्तागण अपना कोई विधिक अधिकार स्थापित नहीं कर सके हैं। किसी भी स्थिति में, पक्षकारों के मध्य संविदात्मक अधिकार, यदि कोई हो, अनुच्छेद 226 अथवा 227 के अधीन प्रवर्तनीय नहीं हैं। इस याचिका में अत्यधिक विवादास्पद प्रश्न संलग्न हैं, जिन्हें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका में निर्णय नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम की विधियां बाल्को एवं एन.टी.पी.सी. पर लागू होती हैं और याचिकाकर्ताओं के पास श्रम न्यायालय का प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, यदि वे चाहें। एन.टी.पी.सी. का कथन यह है कि वह बाल्को का मात्र एक अभिकर्ता है, जिसे एक मुख्तारनामा द्वारा प्राधिकृत किया गया है। बी.सी.पी.पी. का स्वामित्व बाल्को का है। भर्ती उस करार के अनुसार की गई थी, जो विशेष रूप से बी.सी.पी.पी. हेतु किया गया था, जिसमें ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारियों से विशिष्ट घोषणापत्र लिया गया था। ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारी सेवा में इस तथ्य को पूर्णतः जानकर सम्मिलित हुए थे। याचिकाकर्ताओं को बाल्को एवं उत्तरवादियों के मध्य संपन्न करार को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। बी.सी.पी.पी. के निर्माण कार्य का दायित्व बाल्को ने एन.टी.पी.सी. को सौंपा था। बी.सी.पी.पी. की प्रथम इकाई का संचालन 28.06.1987 को प्रारंभ हुआ एवं शेष तीन इकाइयों का संचालन 2½ से 4 माह की अवधि में क्रमशः प्रारंभ हुआ। बाल्को एवं एन.टी.पी.सी. के मध्य जो करार हुआ, जिसे 22.05.1990 के संचालन एवं रख-रखाव करार के रूप में औपचारिक रूप दिया गया, वह 28.06.1987 से प्रभावशील माना गया। इस करार के अंतर्गत बी.सी.पी.पी. का संचालन एवं रख रखाव एन.टी.पी.सी. को सौंपा गया। बी.सी.पी.पी. के संचालन एवं रख रखाव हेतु एन.टी.पी.सी. ने 1980 के मध्य से आवश्यक संख्या में श्रमिकों एवं पर्यवेक्षकों की भर्ती प्रारंभ की। उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति बी.सी.पी.पी. के संचालन एवं रख रखाव कार्य की अवधि तक सीमित

उद्देश्य हेतु की गई थी। नियुक्ति प्रस्ताव तथा कर्मचारियों द्वारा दिया गया घोषणापत्र उक्त तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, एन.टी.पी.सी. एवं बाल्को के मध्य संपन्न संचालन एवं रख-रखाव करार भी यह स्पष्ट करता है कि एन.टी.पी.सी. द्वारा की गई भर्ती विशेष रूप से बी.सी.पी.पी. के लिए थी एवं यदि बी.सी.पी.पी. के संचालन/प्रबंधन को किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जाता है, तो ऐसे कर्मचारियों की सेवाएँ उत्तराधिकारी एजेंसी को स्थानांतरित की जाएंगी। बी.सी.पी.पी. का स्वामित्व कभी भी हस्तांतरित नहीं हुआ एवं वह निरंतर बाल्को के पास ही बना रहा। बी.सी.पी.पी. का प्रबंधन एन.टी.पी.सी. द्वारा उसके स्वामी, अर्थात् बाल्को की ओर से किया जा रहा है। यह कार्य एक विशिष्ट अभिप्रेष पत्र के अंतर्गत किया जा रहा है। अतः इस प्लांट का मानव संसाधन एन.टी.पी.सी. की वार्षिक रिपोर्ट में पृथक रूप से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार, एन.टी.पी.सी. की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि विवरण में बी.सी.पी.पी. को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः यह एन.टी.पी.सी. की कोई अन्य इकाई अथवा विभाग नहीं है।

10. याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादियों द्वारा की गई कार्यवाही को पूरी तरह से गलत समझा है। बी.सी.पी.पी के स्वामित्व में है। बाल्को ने अपनी विशेषज्ञता की कमी के कारण, उत्तरवादियों से बाल्को की ओर से संयंत्र का रखरखाव करने का अनुरोध किया। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्राधिकार दिया गया और एक करार किया गया। करार के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक कार्यवाही की गई और ये सभी कार्यवाही बाल्को की ओर से की गई, न कि एन.टी.पी.सी. की ओर से। जब बी.सी.पी.पी और एन.टी.पी.सी. के लिए कर्मचारियों की भर्ती की गई, तो एक साझा मंच उपलब्ध कराया गया। कुछ नियुक्ति पत्रों में चूकवश कुछ त्रुटियाँ रह गईं। ऐसे पत्र केवल कुछ ही कर्मचारियों को जारी हुए हैं। अन्य कर्मचारियों को ऐसे पत्र जारी नहीं किए गए हैं। यह केवल कुछ विशिष्ट कर्मचारियों तक सीमित है और याचिकाकर्ता इन चंद प्रकरणों की त्रुटियों का लाभ उठाकर अन्य कर्मचारियों पर भी इन पत्रों की शर्तें लागू नहीं कर सकते। उत्तरवादियों ने बी.सी.पी.पी कर्मचारियों को जारी नियुक्ति पत्र दायर किए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि यदि और जब बी.सी.पी.पी का प्रबंधन बाल्को या किसी उत्तराधिकारी संस्था को वापस लिया जाता है, तो उन्हें बाल्को में स्थानांतरित किया जाएगा — जो कि अनुलग्नक R-1 है। इन कर्मचारियों ने एक सहमति-पत्र (अंडरटेकिंग) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो अनुलग्नक R-2 है। अनुलग्नक R-1 में, पृष्ठ-1 के दाहिने कोने में विशेष रूप से यह उल्लेख है कि नियुक्ति बी.सी.पी.पी के लिए है। याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर सैकड़ों अन्य बी.सी.पी.पी के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को जारी नियुक्ति पत्रों और उनके द्वारा शामिल होने के समय हस्ताक्षरित सहमति-पत्र को प्रस्तुत नहीं किया है, जिनमें यह समझ स्पष्ट रूप से दी गई है कि उनकी नियुक्ति बी.सी.पी.पी के लिए है, जो बाल्को के स्वामित्व में है। हालांकि, बी.सी.पी.पी में नियुक्त कर्मचारियों को कुछ लाभ एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा शर्तों के समकक्ष बनाए रखने के लिए दिए गए थे। जब तक बी.सी.पी.पी का प्रबंधन एन.टी.पी.सी. द्वारा किया जा रहा है, यह उचित और न्यायसंगत था कि बी.सी.पी.पी के कर्मचारियों को भी समान सेवा शर्तें मिलें। भेदभाव के आरोपों से बचने के लिए समान लाभ प्रदान किए गए। अधिकारियों द्वारा निष्पादित करार ज्ञापन गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को एन.टी.पी.सी. के कर्मचारी के रूप में कोई अधिकार या प्राधिकरण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रदान नहीं करता। चूंकि सेवा शर्तें समान थीं, समान लाभ दिए जा रहे थे, अतः भेदभाव से बचने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चूंकि एन.टी.पी.सी. बी.सी.पी.पी का प्रबंधन कर रहा था और वे एन.टी.पी.सी. के अधीन पर्यवेक्षण में थे, इसलिए यह प्रमाण पत्र जारी किया गया। जब कर्मचारियों को अभिकर्ता के माध्यम से भी नियुक्त किया जाता है, तब भी समान स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक पी-19 भ्रामक है। जे. आर. भारद्वाज को बी.सी.पी.पी में नियुक्त किया गया था उनके आवेदन के आधार पर, जो बी.सी.पी.पी की रिक्तियों को अधिसूचित करने वाले परिपत्र के खिलाफ किया गया था। यह कहना सही नहीं है कि उन्हें कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से बी.सी.पी.पी में स्थानांतरित किया गया है। नियुक्ति पत्र अनुलग्नक-R-3 है। यह भी अस्वीकार किया गया है कि एन.टी.पी.सी. और बी.सी.पी.पी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध था। एन.टी.पी.सी. के कुछ गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर बी.सी.पी.पी में समायोजित किया गया था, क्योंकि उस समय बी.सी.पी.पी में रिक्तियाँ उपलब्ध थीं। यह भी अस्वीकार किया गया है कि बैजनाथ सिंह को उनकी भूमि के अधिग्रहण के बदले में एन.टी.पी.सी. द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्हें उनके द्वारा निर्धारित नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करने और बी.सी.पी.पी के लिए अधिसूचित पद के लिए उपयुक्त पाए जाने के आधार पर नियुक्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दिनांक 22.05.1990 को एन.टी.पी.सी. और बाल्को के बीच किए गए करार की कण्डिका 8 और 16 (3) के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति बी.सी.पी.पी के लिए की गई थी, अतः उन्हें बी.सी.पी.पी में स्थानांतरित किया जा सकता है, जो कि अधिकांश नियुक्ति पत्रों के कण्डिका 14 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि उन्हें बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट/स्टेशन के लिए नियुक्त किया जा रहा है, जो वर्तमान में एन.टी.पी.सी. के प्रबंधन के अधीन है। यदि भविष्य में बाल्को द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि संयंत्र/स्टेशन का प्रबंधन सीधे बाल्को द्वारा किया जाएगा या किसी अन्य मौजूदा या नई संस्था को हस्तांतरित किया जाएगा, तो उनकी सेवा और पद बाल्को या ऐसी उत्तराधिकारी संस्था को स्थानांतरित हो जाएंगे। उन्हें एन.टी.पी.सी. की सूची में बने रहने का कोई विकल्प नहीं होगा। एक बार जब बाल्को बी.सी.पी.पी को अपने अधीन ले लेता है, तो बी.सी.पी.पी के सभी गैर-कार्यकारी कर्मचारी बाल्को के प्रबंधन में बी.सी.पी.पी में ही बने रहेंगे, जैसा कि करार की कण्डिका 8 और 16.3 में उल्लिखित है। एक बार जब संयंत्र का अधिग्रहण हो जाता है, यदि गैर-कार्यकारी कर्मचारी बाल्को में नहीं जाते और उन्हें एन.टी.पी.सी. द्वारा लिया जाता है, तो वे अधिशेष हो जाएंगे और एन.टी.पी.सी. के पास उन्हें हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह उचित और न्यायसंगत है कि गैर-कार्यकारी कर्मचारी संयंत्र के साथ ही बाल्को में स्थानांतरित हों।

12. बाल्को की ओर से भी इसी प्रकार का उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

13. एन.टी.पी.सी. की ओर से अतिरिक्त प्रतियूत्तर भी प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक एन.टी.पी.सी. का प्रश्न है, प्रत्येक पावर स्टेशन, गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के संदर्भ में एक स्वतंत्र इकाई है। गैर-

कार्यपालकों की भर्ती संबंधित परियोजना की आवश्यकता के आधार पर परियोजना प्रमुख द्वारा की जाती है, न कि एन.टी.पी.सी. मुख्यालय द्वारा। अनुलग्नक R-4 भर्ती नीति है। गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की वरिष्ठता, स्थापना में की गई नियुक्ति पर आधारित होती है और इसका किसी अन्य स्थापना के गैर-कार्यपालक कर्मचारियों से कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक ट्रेड में गैर-कार्यपालकों का कैडर केवल पावर स्टेशन के अंतर्गत ही होता है और कोई अखिल भारतीय/अखिल क्षेत्रीय स्तर का कैडर नहीं है। गैर-कार्यपालकों का एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरण नहीं किया जाता, सिवाय इसके कि संबंधित कर्मचारी द्वारा विशेष अनुरोध किया गया हो। यदि किसी इकाई में रिक्तियाँ होती हैं, जो अन्य स्थापना में भी अपेक्षित हैं, तो गैर-कार्यपालक कर्मचारी ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। स्थानांतरण केवल तभी किया जाता है जब रिक्तियों की माँग करने वाली इकाई आवेदक को उस पद के लिए उपयुक्त पाती है। कर्मचारी किसी अन्य स्थापना या कारखाने में स्थानांतरण की माँग अधिकारपूर्वक नहीं कर सकता। प्रत्येक कर्मचारी, जिसे बी.सी.पी.पी में नियुक्ति प्राप्त हुई है, भली-भाँति जानता है कि वह उक्त स्थापना में नियुक्त है और उसे एन.टी.पी.सी. के किसी अन्य कारखाना/स्थापना में स्थानांतरित होने का कोई अधिकार नहीं है। एन.टी.पी.सी. की किसी भी स्थापना में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित होने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। गैर-कार्यपालकों के लिए कोई स्थानांतरण नीति अस्तित्व में नहीं है। अतः, याचिकाकर्ताओं का यह कथन कि गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की सेवाएँ स्थानांतरित की जा सकती हैं, वस्तुतः असत्य है। छंटनी का आरोप निराधार है। किसी प्रकार की कोई छंटनी नहीं की गई है। कर्मचारी उसी सेवा शर्तों, उसी स्थान, उसी पद तथा उसी स्वामित्व के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जो कि बाल्को है। न तो यूनियन और न ही कर्मचारी एन.टी.पी.सी. को प्रबंधन जारी रखने के लिए बाध्य कर सकते हैं। प्रत्युत्तर दाता स्पष्ट रूप से दोहराता है कि कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है। किसी एक इकाई में कार्यरत कर्मचारी को किसी अन्य इकाई में रोजगार के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाती है और यदि अन्य इकाई उपयुक्त समझती है तो उसे अपने अधीन नियुक्त कर सकती है। यह कोई अधिकार नहीं बल्कि विशिष्ट परिस्थिति में दी गई अनुमति है, और अन्य पावर स्टेशन में नियुक्ति भी कर्मचारी के विशेष अनुरोध पर की जाती है। जो कर्मचारी कोई घोषणा-पत्र देता है, वह उस घोषणा से बंधित होता है। प्रत्येक इकाई का नेतृत्व एक अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे परियोजना हेतु लोगों की भर्ती का अधिकार प्राप्त होता है। सद्भावना के तौर पर, अन्य परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को परियोजना में नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाता है और यदि वे उपयुक्त पाए जाते हैं तो नई परियोजना में नियुक्ति दी जाती है। बी.सी.पी.पी के कर्मचारी अन्य एन.टी.पी.सी. परियोजनाओं के कर्मचारियों की भाँति नियुक्ति के लिए आवेदन करने का अवसर पा चुके हैं और नई परियोजनाएँ, सभी विवरणों की जाँच के उपरांत, यदि उपयुक्त समझें, तो नियुक्ति देती हैं। याचिकाकर्ताओं का यह आरोप कि कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी संगठन में भेजा गया है, पूर्णतः निराधार है। वस्तुतः कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है। व्यक्ति बाल्को के स्वामित्व वाले कारखाने में नियुक्त किए गए हैं। वे उसी पद, उसी स्थान पर कार्यरत हैं। तथापि, याचिकाकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति विशेष रूप से बी.सी.पी.पी हेतु की गई है। याचिकाकर्ता इस तथ्य से भी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भलीभाँति अवगत हैं कि बी.सी.पी.पी का स्वामित्व बाल्को के पास है और एन.टी.पी.सी. केवल अस्थायी रूप से उक्त स्थापना के संचालन हेतु एक अभिकर्ता के रूप में कार्यरत था, स्थायी रूप से नहीं।

14. हमनें डॉ. एन. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, याचिकाकर्ताओं की ओर से, श्री एल. एन. राव, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, उत्तरवादी एन.टी.पी.सी. की ओर से, तथा श्री विवेक तन्खा, वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तरवादी बाल्को की ओर से तर्क सुने।

15. उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं का पहला तर्क यह है कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं कि उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है या उनके किसी वैधानिक अधिकार का हनन हुआ है, अतः, उनके द्वारा प्रस्तुत याचिका जिसके माध्यम से परमादेश रिट की माँग की गई है, विचारणीय नहीं है। उत्तरवादी अधिवक्ताओं का दूसरा तर्क यह है कि ये रिट याचिकाएँ विचारणीय नहीं हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायत के निवारण हेतु वैकल्पिक प्रभावकारी उपाय उपलब्ध हैं। उनका प्रकरण मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत आता है। उक्त अधिनियम की कण्डिका 51 के अनुसार, उन्हें श्रम न्यायालय का रुख करना चाहिए था न कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का सहारा लेना चाहिए था। तथापि, जहाँ तक दूसरे तर्क का संबंध है, चूँकि याचिकाओं का अंतिम रूप से गुण-दोष के आधार पर सुनवाई हो रही है, अतः उत्तरवादी अधिवक्ताओं ने इस बिंदु पर अधिक बल नहीं दिया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत माननीय अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि इन याचिकाओं में जो प्रश्न उठाए गए हैं, वे केवल कुछ अनुबंधों एवं नियुक्ति पत्रों की व्याख्या से संबंधित हैं, जिनमें कोई विवादित तथ्य सम्मिलित नहीं है। अतः, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए पूर्णतः सक्षम है और याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को मात्र तकनीकी आपत्तियों के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न याचिकाकर्ताओं, उनके परिजनों के जीवन तथा नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सेवा में बने रहने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। उत्तरवादी द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ बाल्को को स्थानांतरित करने की कार्यवाही मनमानी और अनुचित है। अतः, यह रिट याचिकाएँ विचारणीय हैं।

17. इस संदर्भ में, स्थापित विधि यह है कि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता का प्रश्न किसी बाध्यकारी विधिक नियम का नहीं, अपितु न्यायिक विवेक का विषय होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, वाद शीर्षक **"ए.बी.एल. इंटरनेशनल लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड एवं अन्य"**, जो कि न्याय निर्णय संख्यांक **JT 2003 (10) SC 300** में प्रकाशित है, में यह अभिनिर्धारित किया गया कि

"संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति को स्वीकार करते समय, न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त रिट जारी करने की शक्ति पूर्ण है और संविधान के किसी अन्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है। उच्च न्यायालय, मामले के तथ्यों को देखते हुए, याचिका को स्वीकार करने या न करने का विवेकाधिकार रखता है। न्यायालय ने इस शक्ति के प्रयोग में अपने ऊपर कुछ सीमाएं स्वेच्छा से लगाई हैं [देखें: **व्हर्लपूल कॉरपोरेशन बनाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार, मुंबई और अन्य, जो कि JT 1998 (7) SC 243; 1998 (8) SCC 1** में रिपोर्टेड है]। और यह उच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति, सामान्यतः, अन्य उपलब्ध उपायों को दरकिनार कर प्रयोग में नहीं लाई जाती जब तक कि राज्य या इसकी एजेंसी का कार्य इतना मनमाना और अव्यवस्थित न हो कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन करे या अन्य वैध एवं उचित कारणों से, जिनके लिए न्यायालय को यह अधिकार प्रयोग करना आवश्यक प्रतीत हो।"

उपरोक्त निर्णय के कण्डिका 27 में, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि "एक रिट याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में निम्नलिखित कानूनी सिद्धांत निकलते हैं: -

a) किसी उपयुक्त मामले में, राज्य या राज्य की एक एजेंसी के विरुद्ध एक रिट याचिका जो किसी संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न होती है, स्वीकार्य है।
b) केवल इस आधार पर कि विचारार्थ कुछ विवादित तथ्यों का प्रश्न उत्पन्न होता है, यह सभी प्रकरणों में रिट याचिका को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकता।
c) एक रिट याचिका जिसमें परिणामी अनुतोष स्वरूप मौद्रिक दावा शामिल है, वह भी स्वीकार्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, रिट याचिका उस स्थिति में भी विचारणीय है जहाँ विचार हेतु कुछ विवादित तथ्यों का प्रश्न उत्पन्न होता है तथा उन उपयुक्त प्रकरणों में भी जहाँ रिट याचिका किसी राज्य या राज्य की किसी अभिकरण के विरुद्ध संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न होती है। याचिकाकर्ताओं का यह पक्ष है कि उन्हें एनटीपीसी द्वारा नियुक्त किया गया था तथा उनकी नियुक्ति-पत्रों में सेवा की शर्तें एवं नियम उल्लिखित हैं। अब उन शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ताओं की सेवाएं बाल्को को स्थानांतरित की जा रही हैं। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में, हमारा मत है कि प्रस्तुत रिट याचिकाएं विचारणीय हैं। वर्तमान रिट याचिकाओं में केवल एकमात्र प्रश्न यह है कि विभिन्न नियुक्ति पत्रों, एनटीपीसी और बाल्को के मध्य संपादित करारों की व्याख्या की जाए तथा यह कि एनटीपीसी याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की शर्तों से उत्पन्न संविदात्मक दायित्वों के विरुद्ध कार्य कर रही है।

19. ***राधा रमन समंत बनाम बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य*** **[रिपोर्टेड इन (2004) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ 605]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि,

"अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु भी किया जा सकता है। अतः एकल पीठ को उत्तरवादी बैंक को उपयुक्त निर्देश जारी करने का अधिकार था यदि तथ्यों के आधार पर वह उचित ठहराया जा सके। यह भी अनुचित नहीं था कि एकल पीठ निर्विवादित दस्तावेजों की समीक्षा करे और यह निष्कर्ष निकाले कि अपीलार्थी की सेवा की स्थिति क्या थी। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही में निर्विवादित तथ्यों की समीक्षा निषिद्ध नहीं है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि –

"संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग संविधान के भाग III में उपलब्ध मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी किया जा सकता है। उच्च न्यायालयों ने प्रायः अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विधिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। अतः, यह विद्वान एकल पीठ के लिए खुला था कि वह तथ्यों के आधार पर उचित समझे जाने पर उत्तरवादी बैंक को उपयुक्त निर्देश जारी करे। विषय को और अधिक स्पष्ट करने हेतु हम "स्टाइल (ड्रेस लैंड) बनाम संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़" [(1999) 7 SCC 89] का उल्लेख करते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि:""नवीनीकरण की कार्यवाही का मूल्यांकन कार्य के प्रकार के आधार पर नहीं बल्कि वह कार्य करने वाले निकाय की सार्वजनिक प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए और ऐसा कार्य, चाहे वह संविदात्मक क्षेत्र से संबंधित हो, न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए खुला रहेगा।" (प्रमुखता दी गई)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20."**हरबंशलाल साहनिया एवं अन्य विरुद्ध इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य के मामले में, जो (2003) 2 SCC 107** में प्रकाशित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि –

"वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता से रिट क्षेत्राधिकार के निषेध का नियम विवेकाधीन है, कोई अनिवार्य नियम नहीं। उपयुक्त प्रकरणों में, भले ही वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, विशेषकर तीन परिस्थितियों में: (i) जब याचिका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की मांग करती है;(ii) जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है;(iii) जब आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से परे हो या किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई हो।"

21. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने संविदात्मक दायित्वों को चुनौती दी है और साथ ही यह भी बताया है कि बी.सी.पी.पी के कुछ कर्मचारियों को एन.टी.पी.सी. की अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित किया गया है, जबकि याचिकाकर्ताओं को समायोजित नहीं किया गया है। अतः,

एन.टी.पी.सी. की यह कार्यवाही मनमानी, अविवेकपूर्ण है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। अतः, यदि तथ्यों के आधार पर यह उचित ठहराया जा सके, तो रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं और "किसी अन्य उद्देश्य हेतु" भी रिट जारी की जा सकती है। उपर्युक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, हम यह मानते हैं कि उत्तरवादियों की ओर से प्रस्तुत याचिका की स्वीकार्यता पर की गई आपत्ति स्थिर रहने योग्य नहीं है।

22. अब इस वाद के गुण-दोष पर आते हुए, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान नियुक्ति पत्रों तथा उसमें वर्णित सेवा शर्तों की ओर आकृष्ट किया और यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि याचिकाकर्ता, अर्थात् ग़ैर-कार्यपालक अधिकारी, एनटीपीसी सेवा के अंतर्गत नियुक्त किए गए थे और उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि उन्हें बाल्को के कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यह तर्क इस तथ्य से और अधिक पुष्ट होता है कि बी.सी.पी.पी के कुछ कर्मचारियों को एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित किया गया और एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं के कुछ कर्मचारियों को बी.सी.पी.पी में स्थानांतरित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों में उल्लिखित सेवा शर्तों से यह स्पष्ट है कि उन्हें जो सुविधाएँ, वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें प्राप्त थीं, वे एनटीपीसी के अन्य कर्मचारियों के समान ही थीं। इसके अलावा, नियुक्ति के समय याचिकाकर्ताओं से यह शपथपत्र लिया गया था कि वे एनटीपीसी में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा देंगे और इसके लिए उनके संरक्षक एवं पिता से भी शपथपत्र लिया गया था। उनके नाम रोजगार कार्यालय से एनटीपीसी परियोजना में नियुक्ति हेतु बुलाए गए थे। एनटीपीसी और बाल्को के मध्य जो द्विपक्षीय करार हुआ, उसमें याचिकाकर्ता पक्षकार नहीं थे, अतः वह करार याचिकाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि यह करार उनकी जानकारी और सहमति के बिना, उनके पीठ पीछे किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि ऐसे कई ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारी हैं जिन्हें वर्ष 1985 से पहले नियुक्त किया गया था और जो एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं से बी.सी.पी.पी में स्थानांतरित किए गए थे, जिन्हें बी.सी.पी.पी के लिए नियुक्त नहीं किया गया था, अतः उन्हें बाल्को को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि कुछ ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारियों की नियुक्ति एनटीपीसी की एक योजना के तहत की गई थी, जिसके अंतर्गत यदि किसी परिवार की कृषि भूमि एनटीपीसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई हो, तो उस परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति दी जानी थी, और इस मामले में भी कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति उस योजना के अंतर्गत की गई थी, अतः वे एनटीपीसी के कर्मचारी माने जाएंगे, न कि बाल्को के।

23. दूसरी ओर, श्री एल. एन. राव, भारत के माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किया कि वर्ष 1984 में बाल्को ने बी.सी.पी.पी की स्थापना करने का निर्णय लिया ताकि बाल्को को नियमित विद्युत आपूर्ति में वृद्धि की जा सके। इस उद्देश्य से एनटीपीसी और बाल्को के बीच बी.सी.पी.पी भवन के निर्माण हेतु एक करार किया गया। तत्पश्चात, जब निर्माण कार्य प्रगति पर था, तब बाल्को ने यह निर्णय लिया कि इस संयंत्र का संचालन, रखरखाव, प्रबंधन आदि एनटीपीसी को सौंप दिया जाए। अतः दिनांक 22.05.1990 को एनटीपीसी और बाल्को के बीच एक अन्य करार संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रावधान किया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गया, जिन्हें एनटीपीसी द्वारा बाल्को की ओर से नियुक्त किया जाना था, और यह करार वर्ष 1987 से प्रभावी माना गया। अतः ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारियों की नियुक्ति एनटीपीसी द्वारा बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट के लिए की गई थी और नियुक्ति के समय यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गई थी कि यह नियुक्ति बी.सी.पी.पी के लिए है। इसके अतिरिक्त, उनके नियुक्ति पत्रों के शीर्ष दाहिने कोने में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि नियुक्ति बी.सी.पी.पी के लिए है। कर्मचारियों से यह शपथपत्र भी लिया गया था कि यदि संयंत्र को बाल्को को स्थानांतरित किया जाता है तो उनकी सेवाएँ भी बाल्को को स्थानांतरित की जा सकती हैं।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आगे तर्क दिया कि एनटीपीसी की नीति के अनुसार ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारियों की नियुक्ति परियोजना-वार की जाती है और उनकी सेवाएँ स्थानांतरित नहीं की जातीं। हालांकि, कुछ विशेष प्रकरणों में, जब एनटीपीसी की किसी परियोजना में रिक्ति उत्पन्न होती है, तब उस रिक्ति को भरने के लिए विशेष आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और यदि उस प्रक्रिया में किसी अन्य परियोजना के कर्मचारी की नियुक्ति उपयुक्तता के आधार पर की जाती है, तो इसे स्थानांतरण नहीं माना जा सकता। अतः यह नहीं माना जा सकता कि ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारियों को नियमित रूप से एक परियोजना से दूसरी परियोजना में स्थानांतरित करने का अधिकार है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि संचालन एवं रख रखाव करार की कण्डिका8.2, जो ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारियों से संबंधित है, में यह प्रावधान है कि ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारियों की आवश्यकता एनटीपीसी द्वारा विशेष रूप से बी.सी.पी.पी हेतु की जाएगी और यह एनटीपीसी की आवश्यकताओं, मानकों एवं नीतियों के अनुसार होगा। यह कर्मचारी एनटीपीसी की नीतियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन होंगे। यदि एनटीपीसी से किसी अन्य संस्था को प्रबंधन का स्थानांतरण होता है, तो उनकी सेवाएँ उस उत्तराधिकारी संस्था को स्थानांतरित की जा सकेंगी, जैसा कि कण्डिका 16 में वर्णित है।कण्डिका 16.3 स्टाफ के स्थानांतरण से संबंधित है, जिसमें यह उल्लेख है कि प्रबंधन के स्थानांतरण की स्थिति में, बाल्को यह सुनिश्चित करेगा कि कण्डिका 8.0 के प्रावधानों के अनुसार बी.सी.पी.पी हेतु नियुक्त समस्त ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारियों और ऐसे एनटीपीसी कार्यपालक जिन्हें एनटीपीसी द्वारा प्रबंधन हस्तांतरण के परिणामस्वरूप अधिशेष घोषित किया गया है, उन्हें उत्तराधिकारी संस्था को स्थानांतरित किया जाए। ऐसे स्थानांतरण की शर्तें उन शर्तों से निम्नतर नहीं होंगी जिनका लाभ कर्मचारी स्थानांतरण की तिथि को उठा रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में जहाँ ऐसा स्थानांतरण संभव नहीं हो सके, वहाँ बाल्को समस्त परिणामी उत्तरदायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें छंटनी क्षतिपूर्ति भी सम्मिलित है, यदि कोई हो। संयंत्र की उपयोगिता समाप्त होने की स्थिति में, बाल्को समस्त उत्तरदायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें छंटनी क्षतिपूर्ति आदि सम्मिलित है, जब ग़ैर-कार्यपालक कर्मचारी और ऐसे एनटीपीसी कार्यपालक जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया है, को छांटा जाता है अथवा किसी अन्य उपयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाता है।अतः, याचिकाकर्ताओं की याचिकाएँ निरस्त किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24 उपर्युक्त तर्कों के प्रकाश में, हमने याचिकाओं तथा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया है। वर्ष 1984 में, बाल्को ने अपने नियमित विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, एन.टी.पी.सी. एवं बाल्को के मध्य एक

अनुबंध संपादित किया गया जिसके अंतर्गत उक्त विद्‌युत संयंत्र का निर्माण कार्य एन.टी.पी.सी. को सौंपा गया। जब उक्त संयंत्र की भवन निर्माण गतिविधियाँ पूर्ण हो रही थीं, उस समय दोनों कंपनियों के मध्य दिनांक 22.05.1990 को एक अन्य अनुबंध संपादित किया गया, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट (बी.सी.पी.पी) का प्रबंधन, संचालन, पर्यवेक्षण, अनुरक्षण एवं नियंत्रण एन.टी.पी.सी. द्वारा किया जाएगा और इस उद्देश्य हेतु आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति पर भी विचार किया गया। उक्त अनुबंध को वर्ष 1987 से प्रभावशील माना गया।उक्त अनुबंध के अंतर्गत, एन.टी.पी.सी. को बाल्को की ओर से संयंत्र के संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया, और इस प्रक्रिया में गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की भी नियुक्तियाँ की गईं। एन.टी.पी.सी. द्वारा एक संयुक्त परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया, जो एन.टी.पी.सी. के अन्य परियोजनाओं तथा बी.सी.पी.पी हेतु नियुक्तियों के लिए था। रोजगार कार्यालय से भी नाम आमंत्रित किए गए। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजा गया तथा उन्हें कुछ औपचारिकताएँ पूर्ण करने एवं एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिनमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि नियुक्ति बी.सी.पी.पी परियोजना हेतु की जा रही है।नियुक्ति आदेश के कण्डिका 14 में स्पष्ट रूप से लिखा गया था:"आपकी नियुक्ति बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट/स्टेशन के लिए स्वीकृत पद के विरुद्ध की जा रही है, जो वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन में है। यदि भविष्य में बाल्को द्वारा उक्त संयंत्र/स्टेशन का प्रत्यक्ष प्रबंधन करने अथवा उसके प्रबंधन को किसी अन्य वर्तमान अथवा नई संस्था को सौंपने का निर्णय लिया जाता है, तो आपकी सेवा एवं पद बाल्को अथवा उस उत्तरवर्ती संस्था को स्थानांतरित माने जाएँगे।"इसके अतिरिक्त, नियुक्त कर्मचारियों द्वारा पृथक रूप से एक शपथपत्र दिया गया, जिसमें उल्लेख था:"मैं पूर्णतः समझता हूँ और सहमत हूँ कि मेरी नियुक्ति बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट/स्टेशन में कार्य हेतु की गई है, जो वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशनलिमिटेड के प्रबंधन में है।"इसी प्रकार, उन्होंने यह भी सहमति दी कि:"मेरा पद तथा मेरी सेवा बाल्को अथवा ऐसी किसी उत्तरवर्ती संस्था को हस्तांतरित मानी जाएगी, और मैं एन.टी.पी.सी. की सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रखूँगा, तथा अपनी पूर्व सेवा के लिए किसी प्रकार का प्रतिकर अथवा लाभ की मांग नहीं करूँगा।"

25. अतः, उपरोक्त नियुक्ति आदेशों तथा कर्मचारियों द्वारा दी गई स्वीकृति की पृष्ठभूमि में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि उनकी नियुक्तियाँ बी.सी.पी.पी के लिए की गई थीं न कि एन.टी.पी.सी. अथवा उसकी किसी अन्य परियोजना हेतु। ये नियुक्तियाँ दिनांक 22.05.1990 के अनुबंध की शर्तों के अनुरूप की गई थीं, जो कि एन.टी.पी.सी. तथा बाल्को के मध्य संपादित हुआ था। यदि हम करार के कण्डिका 8.2 एवं 16.3, नियुक्ति आदेशों तथा कर्मचारियों द्वारा दी गई स्वीकृतियों का सम्यक अवलोकन करें, तो स्पष्ट होता है कि सभी शर्तें एक समान हैं। अतः, अब उक्त नियुक्त कर्मियों को अपने नियुक्ति आदेशों तथा स्वीकृतियों को चुनौती देने का कोई अधिकार शेष नहीं रहता।

26. एन.टी.पी.सी. का विशिष्ट पक्ष यह है कि जब भी कोई परियोजना प्रारंभ की जाती है, तब उसमें नियुक्त होने वाले गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की नियुक्ति केवल उसी परियोजना के लिए की जाती

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है और उनकी सेवाएँ उसी परियोजना से संलग्न रहती हैं तथा किसी अन्य परियोजना में स्थानांतरित नहीं की जातीं। इस नीति के अनुरूप, बी.सी.पी.पी परियोजना बाल्को के साथ करार के आधार पर स्थापित की गई और उसमें नियुक्त कर्मचारी बाल्को परियोजना हेतु नियुक्त किए गए। यह सत्य है कि याचिकाकर्ता उक्त करार के पक्षकार नहीं थे, परन्तु यह आवश्यक भी नहीं था कि वे अनुबंध के पक्षकार बनें, क्योंकि वह अनुबंध बाल्को एवं एन.टी.पी.सी. के मध्य संपादित हुआ था और उसी में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया था तथा बाल्को की ओर से नियुक्ति हेतु एन.टी.पी.सी. को अधिकार प्रदान किया गया था।अतः, एन.टी.पी.सी. को बाल्को की ओर से नियुक्ति करने का अधिकार उक्त अनुबंध के आधार पर प्राप्त हुआ और जब यह अनुबंध किया गया, तब याचिकाकर्ता सेवा में नहीं थे, इसलिए वे उसके पक्षकार नहीं हो सकते थे। बल्कि, उनकी नियुक्तियाँ उक्त करार दिनांक 22.05.1990 के अधीन की गईं। इस प्रकार, एन.टी.पी.सी. के अधिकारी भी उस करार के विरुद्ध जाकर कोई नियुक्ति करने के लिए अधिकृत नहीं थे। यदि कोई अधिकारी किसी विशेष करार या प्राधिकृत दस्तावेज से प्राप्त शक्ति के परे जाकर कोई कार्य करता है, तो उस आधार पर की गई नियुक्ति अधिकारविहीन मानी जाती है और ऐसा नियुक्त व्यक्ति उस संस्था की नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं रखता। ऐसी कोई भी नियुक्ति, जो बिना वैध प्राधिकरण, स्वीकृत अथवा रिक्त पद के की जाती है, सर्वथा अवैध मानी जाती है।अतः, एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों द्वारा नियुक्तियों हेतु जो भी शक्तियाँ प्राप्त थीं, वे केवल उक्त अनुबंध के आधार पर थीं और उसी के अनुरूप नियुक्ति आदेश जारी किए गए तथा कर्मचारियों से शपथपत्र लिए गए। अनुबंध के अनुसार, बी.सी.पी.पी में नियुक्त कर्मचारियों को वही सेवा शर्तें, सुविधाएँ एवं अधिकार प्रदान किए जाने थे जो एन.टी.पी.सी. के समान रूप से स्थित कर्मचारियों को प्राप्त थीं, ताकि बी.सी.पी.पी के कर्मचारियों के साथ सेवा शर्तों में कोई भेदभाव न हो।यदि याचिकाकर्ताओं को उक्त अनुबंध के तहत एन.टी.पी.सी. कर्मचारियों के समान सेवा शर्तों पर नियुक्त किया गया, तो मात्र उस आधार पर उन्हें एन.टी.पी.सी. के कर्मचारी माने जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अतः, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि याचिकाकर्ता गैर-कार्यकारी कर्मचारी एन.टी.पी.सी. के कर्मचारी हैं, निराधार प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. अब इस प्रश्न पर आते हैं कि कुछ प्रकरणों में, जो नियुक्ति आदेश बी.सी.पी.पी के लिए निर्धारित प्रारूप में होने थे, वे त्रुटिवश उस प्रारूप में निर्गत नहीं हुए और कुछ अन्य प्रारूपों में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, बी.सी.पी.पी एवं एन.टी.पी.सी. दोनों के लिए एक सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी, अतः कुछ प्रकरणों में भिन्नता उत्पन्न हो सकती है और बी.सी.पी.पी हेतु निर्धारित विशिष्ट प्रारूप का उपयोग नहीं किया गया। जैसा कि एनटीपीसी द्वारा दायर प्रत्युत्तर में उल्लेख किया गया है, यदि किसी विशेष कर्मचारी के संदर्भ में अनजाने में या भूलवश बी.सी.पी.पी के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रारूप का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो भी वह कर्मचारी बी.सी.पी.पी के लिए नियुक्त किया गया था और बी.सी.पी.पी में कार्य करता रहा है। अतः उस अनजानी त्रुटि के कारण, उसे एनटीपीसी का नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता। यदि उसे ऐसा माना जाए, तो यह दिनांक 22.05.1990 के करार के विरुद्ध होगा।इसके

अतिरिक्त, चूँकि आरंभ से ही ये कर्मचारी बी.सी.पी.पी में नियुक्त हुए हैं और अन्य गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के साथ बी.सी.पी.पी में ही कार्यरत हैं, अतः अब वे यह दावा नहीं कर सकते कि वे एनटीपीसी के कर्मचारी हैं।इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "**बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारत संघ एवं अन्य**" के प्रकरण में, जो कि **(2002) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 333** में प्रकाशित है, कण्डिका 59 में, बाल्को के विनिवेश के मामले में निर्णय देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निम्नलिखित प्रेक्षण को अनुमोदित किया,

> जो कि प्रोफेसर बाबू मैथ्यू बनाम भारत संघ [(1997) 90 कम्प कैस 455 (कर्नाटक)] के मामले में किया गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में 49% तक के सरकारी हिस्से के विनिवेश की स्थिति में पृष्ठ 478G-H पर निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:
>
> "कोई भी आर्थिक सुधार, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs) का विनिवेश शामिल है, जनहित में प्रणाली को झकझोरने के उद्देश्य से किया जाता है। विनिवेश का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी तथा बेहतर प्रदर्शन करने योग्य बनाना है। सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा और देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये नीतिगत विषय हैं जो आर्थिक सुधारों से गहराई से जुड़े हुए हैं। यद्यपि यह सत्य है कि सरकार की कोई भी नीति जनहित में होनी चाहिए, परन्तु यह नहीं दर्शाया गया कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश से पूर्व कर्मचारियों से परामर्श करना जनहित का कोई पहलू है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके आगे यह भी उल्लेखित किया गया:

> "कंपनी के 51% अंशों के विनिवेश के परिणामस्वरूप, प्रबंधन एवं नियंत्रण निःसंदेह निजी हाथों में चला गया है। <u>तथापि, विधिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कर्मचारियों के लिए नियोजक बदल गया है। कर्मचारी उसी कंपनी के अधीन बने रहते हैं और प्रबंधन का परिवर्तन, विधिक दृष्टि से, नियोजन में परिवर्तन नहीं माना जाता है।</u>"

28. अतः **बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत)** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को बाल्को को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, निराधार प्रतीत होता है। वस्तुतः, यह कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं है, क्योंकि वे उस संयंत्र के कर्मचारी हैं, जिसे अब उसके स्वामी को सौंपा जा रहा है।

29. बहस के दौरान, उत्तरवादी/एनटीपीसी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि कुल 236 अप्रबंधकीय कर्मचारियों में से 199 कर्मचारियों ने लिखित रूप में यह शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि यदि उनका पद और सेवा बाल्को अथवा किसी उत्तराधिकारी संस्था

को स्थानांतरित किया जाता है, तो उन्हें एनटीपीसी की सेवा में बने रहने का कोई विकल्प प्राप्त नहीं होगा और वे अपनी पूर्व सेवाओं के लिए कोई क्षतिपूर्ति या लाभ का दावा नहीं करेंगे। तथापि, शेष 37 कर्मचारियों का ऐसा कोई शपथपत्र प्राप्त नहीं हो सका है, क्योंकि उनके नियुक्ति आदेश में बी.सी.पी.पी हेतु नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद 14 सम्मिलित नहीं था। एन.टी.पी.सी. के तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि ऐसे 37 कर्मचारी, यदि बाल्को में कार्यभार ग्रहण करना न चाहें, तो वे एनटीपीसी के विभिन्न परियोजनाओं में स्थानांतरण हेतु एनटीपीसी को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में एनटीपीसी उनके अभ्यावेदन पर गुण-दोष के आधार पर और स्वीकृत रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन विचार करेगा।

30. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वर्षों के दौरान कुछ कर्मचारियों को बी.सी.पी.पी से एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित किया गया तथा कुछ कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं से बी.सी.पी.पी में लाया गया, अतः याचिकाकर्ताओं तथा शेष अप्रबंधकीय कर्मचारियों को भी एनटीपीसी की परियोजनाओं में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क किया कि इस मामले में एनटीपीसी अधिकारियों ने चयनात्मक दृष्टिकोण (उठाओ और चयन करो पद्धति) अपनाया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31. दूसरी ओर, उत्तरवादियों के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह दलील निराधार है। निश्चित रूप से कुछ अप्रबंधकीय कर्मचारी अन्य परियोजनाओं में चयनित किए गए थे, लेकिन जब भी कोई पद रिक्त हुआ, एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं के कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए और यदि कोई कर्मचारी उपयुक्त पाया गया तो उसे अन्य परियोजनाओं में नियुक्त किया गया। इस प्रक्रिया में कोई मनमानी चयन नहीं हुआ और न ही चयनात्मक (पिक एंड चूज़) विधि अपनाई गई। उत्तरवादियों के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इस दलील को तर्क-वितर्क के दौरान नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी याचिकाओं में कोई विशेष आरोप जैसे दुर्भावना, मनमानी या पक्षपात का उल्लेख नहीं है, अतः वे इस विवाधक को प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादियों की याचिकाओं के उत्तर में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि किसी कर्मचारी को अन्य परियोजना में नियुक्त किया गया तो वह चयन और उपयुक्तता के आधार पर तथा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया, जैसे आवेदन आमंत्रित करना आदि। इसे स्थानांतरण नहीं कहा जा सकता और याचिकाकर्ताओं को बिना उचित प्रक्रिया के समान व्यवहार का दावा करने का अधिकार नहीं है।

32. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जबलपुर नगर निगम बनाम मध्यप्रदेश राज्य AIR 1966 SC 837** में प्रकाशित हुआ है, के निर्णय के कण्डिका 9 में यह अभिकथित (held) किया गया कि —

> "यह प्रश्न कि कौन स्थानांतरणकर्ता है, तथ्य का प्रश्न है या विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है। जब कोई पक्ष रिट याचिका में ऐसे किसी तथ्य का दावा नहीं करता तो तर्क के दौरान

तथ्यों से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पक्ष को अपनी याचिका में दिये गए तथ्यों और आरोपों तक सीमित रखना चाहिए ताकि सुनवाई व्यवस्थित रहे और अन्य पक्ष को आश्चर्य और अनुचितता से बचाया जा सके।"

इसके अतिरिक्त, **भिकाजी नारायण ढाक्रस एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, जो AIR 1955 SC 781** में प्रकाशित है, के प्रकरण में, शीर्ष टिप्पणी (head note) (b) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिकथित (निर्णय) किया कि —
"याचिका में जो आपत्ति नहीं उठाई गई है, उसे तर्क के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

इसी प्रकार, **प्यारे लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य**, जो AIR 1975 सर्वोच्च न्यायालय 650 में प्रकाशित है, के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिकथित किया कि —

"अपीलकर्ता को उस अवस्था में ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी — पश्चातवर्ती आदेशों को चुनौती न दिए जाने की स्थिति में, न्यायालय उनकी वैधता की समीक्षा नहीं कर सकता — मूल याचिका, पश्चातवर्ती आदेशों के कारण निष्प्रभावी हो चुकी थी और निरस्त किए जाने योग्य थी।"

33. उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के दृष्टिगत, चूंकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं में यह चुनौती नहीं दी कि कुछ अप्रबंधकीय कर्मचारियों को चयनात्मक तरीके से अन्य परियोजनाओं में भेजा गया, तथा याचिका में मनमानी, अनुचितता और पक्षपात के आधार पर कोई दावा नहीं किया गया है, अतः अंतिम सुनवाई के दौरान इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

34. अब याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क की ओर आते हैं कि बजनाथ एवं कुछ अन्य कर्मचारियों को एनटीपीसी द्वारा नियुक्त किया गया क्योंकि उनकी कृषि भूमि एनटीपीसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, और इस योजना के अनुसार उस परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाता है, इसलिए वे कर्मचारी एनटीपीसी के कर्मचारी हैं और उन्हें बाल्को को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इस तर्क में भी कोई स्थिर आधार नहीं है क्योंकि उत्तरवादियों ने इस आरोप को स्पष्ट रूप से खारिज किया है और कहा है कि बजनाथ एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति चयन के आधार पर हुई है न कि उनके भूमि अधिग्रहण के कारण। इसके अतिरिक्त, यदि हम इस तर्क को मान भी लें कि किसी परिवार के सदस्य को भूमि अधिग्रहण के आधार पर रोजगार दिया गया, तो वह भी बी.सी.पी.पी परियोजना में नियुक्त हुआ, क्योंकि ऐसी नियुक्तियां रिक्ति उपलब्ध होने पर ही दी जाती हैं। बी.सी.पी.पी के निर्माण के कारण जब रिक्ति उत्पन्न हुई और यदि उन कर्मचारियों को बी.सी.पी.पी में नियुक्त किया गया, तो वे अब यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें एनटीपीसी परियोजना में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

35. अब करार दिनांक **22.05.1990** की कण्डिका 16.3 की व्याख्या के संबंध में प्रश्न पर आते हैं, जिसे याचिकाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध बताया गया है और उसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है। कण्डिका 16.3 इस प्रकार है:

"प्रबंधन के स्थानांतरण की स्थिति में, बाल्को यह सुनिश्चित करेगा कि बी.सी.पी.पी के लिए भर्ती सभी गैर-कार्यकारी कर्मचारी अनुच्छेद 8.0, के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकारी संगठन को स्थानांतरित किए जाएं, तथा ऐसे एनटीपीसी अधिकारी जो बी.सी.पी.पी में तैनात हैं और जिन्हें प्रबंधन स्थानांतरण के परिणामस्वरूप एनटीपीसी द्वारा अधिशेष घोषित किया गया हो। ऐसे स्थानांतरण की शर्तें उन कर्मचारियों के स्थानांतरण तिथि के अनुसार मौजूदा शर्तों से कमतर नहीं होंगी। जहां ऐसा स्थानांतरण संभव न हो, वहां बाल्को सभी संबंधित दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें छंटनी क्षतिपूर्ति भी शामिल है। संयंत्र के जीवन के अंत में बाल्को सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें छंटनी क्षतिपूर्ति आदि शामिल हैं, जब अप्रबंधकीय कर्मचारी और ऐसे अधिशेष घोषित एनटीपीसी अधिकारी छंटनी के अधीन हों या कोई अन्य उपयुक्त प्रबंध किया जाए।"

सबसे पहले, उदाहरण के लिए, यदि यह कण्डिकारद्द भी कर दी जाए, तब भी याचिकाकर्ताओं के लिए इसका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया, उनकी नियुक्ति बी.सी.पी.पी के लिए एनटीपीसी द्वारा बाल्को के प्राधिकरण पर की गई है और वे बाल्को के कर्मचारी हैं। इसके अलावा, हम यह भी समझ नहीं पाते कि याचिकाकर्ता इस कण्डिका 16.3 के कारण किस प्रकार असुविधाजनक स्थिति में हैं।इसके प्रारंभ में, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को बाल्को के अधीन रखे जाने पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा कोई प्रयास नहीं है जिससे उन्हें असुविधाजनक स्थिति में रखा जाए या बी.सी.पी.पी के बाल्को द्वारा अधिग्रहण के कारण उनकी सेवा की शर्तें बदली जाएंगी। वे अपनी सेवाओं की वही सुविधाएं और अधिकार प्राप्त करते रहेंगे जो एनटीपीसी के तहत उन्हें मिलते थे। यदि कभी उनकी सेवा शर्तें बदली भी जाएं तो वे करार की कण्डिका 16.3 के अनुसार बाल्को के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।वास्तव में, एनटीपीसी द्वारा यह एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था कि यदि बी.सी.पी.पी बाल्को या किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित किया जाए, तो कर्मचारियों की सेवा शर्तें असुविधाजनक न हों और वे उसी स्तर की सुविधाएं, लाभ और सेवा शर्तें प्राप्त करें जो एनटीपीसी कर्मचारियों को मिलती हैं। छंटनी की स्थिति में भी ये कर्मचारी छंटनी मुआवजे के पात्र होंगे। इसलिए, दिनांक 22.05.1990 के अनुबंध की कण्डिका 16.3 किसी भी प्रकार से याचिकाकर्ताओं की स्थिति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह उन्हें सेवा जारी रखने या छंटनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

36. अब उन कर्मचारियों के बारे में जो एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं में नियुक्त होकर वर्षों बाद बी.सी.पी.पी स्थानांतरित किए गए, क्या वे अपने मूल परियोजना में वापस जाने के अधिकारी हैं, इस पर आते हैं। इस संबंध में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि ये कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण अपनी इच्छा से बी.सी.पी.पी गए हैं, इसलिए उनका स्वाभाविक अधिकार नहीं है कि वे अन्य एनटीपीसी परियोजनाओं में वापस स्थानांतरण की मांग कर सकें। साथ ही उन्होंने निष्पक्षता से कहा कि यदि ऐसे कर्मचारी एनटीपीसी के समक्ष आवेदन करते हैं और किसी अन्य एनटीपीसी परियोजना में रिक्ति उपलब्ध होती है, तो एनटीपीसी प्रयास करेगा कि उन्हें समायोजित किया जाए। उपरोक्त प्रस्तुतियों के तहत, ऐसा माना जाता है कि इन

कर्मचारियों के पास कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे अपनी मर्जी से परियोजना में गए हैं और साथ ही जब भी कोई रिक्ति होगी, वे आवेदन देकर स्थानांतरण के लिए विचार किए जाएंगे।

37. अंत में, उपरोक्त याचिकाओं में कोई तथ्यात्मक या विधिक आधार नहीं पाया गया। इन टिप्पणियों के साथ, याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

हस्ताक्षर/-
फखरुद्दीन
न्यायाधीश

हस्ताक्षर/-
एल. सी. भादू
न्यायाधीश

---00---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By "SHRIKANT KAUSHIK"